फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 20/2022 प्रार्थना पत्र धारा 251 ए

छगनलाल वगै.बनाम बाबुलाल वगैराह

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर/ सूचना
25/7/24	पत्रावली पेश हुई ।अधिवक्ता पपक्षकारान् उपस्थित है । अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे बताया कि आप न्यायालय मे विचाराधीन वाद संख्या 187/2015 कायम मुकाम मे नियत होकर पेशी दिनांक 5.12.2019नियत थी । नियत पेशी के दिन प्रार्थी छगनलाल बीमार होने व हर्णिया का आपरेशन होने से आप न्यायालय मे उपस्थित नही हो सका जिससे प्रकरण अदम पैरवी मे खारिज हो गया । प्रार्थी का जायज कारण है ,यदि प्रार्थीगण का प्रार्थन पत्र स्वीकार नही किया गया तो प्रार्थीगण न्याय से वंचित रह जायेगें। विलम्ब अवधि के लिये धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जा कर उक्त वाद को पुनः नंबर पर लिया जाने का आदेश फरमावे । अधिवक्ता विपक्षी द्वारा द्वारा अपने जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे बताया कि उक्त वाद की पत्रावली कायम मुकाम के अवसर पर थी व पर्याप्त अवसर दिये गये थे ,उपस्थित नही होने पर अदम पैरवी मे खारिज किया गया है । प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे कोई ठोस कारण नही है व बीमारी का कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है । प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किया है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व सपठित धारा 151 जा.दी. सव्यय खारिज फरमाया जावे । बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से सिद्व है कि अदम पैरवी मे खारिज वाद आर्डर 22 रूल 3 पेश करने हेतु कोष्ट पर अवसर दिया गया है व पेश नही करने पर अतिरिक्त कोष्ट पर अवसर दिया गया है ।व यह प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किया है एवं विलम्ब से पेश करने का कोई ठोस कारण व साक्ष्य सबूत पेश नही किये है ।जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व सपठित धारा 151 जा.दी. खारिज योग्य होने अस्वीकार कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़, जिला-राजसमन्द (राज.) उपखण्ड अधिकारी सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द (राज.)	